न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–43/2023 दायर दिनांक 31.03.2023

जीसीएमएस आई0डी0ः–2023/110

रमेश उम्र 56 साल पुत्र गोपी जाति माली निवासी गुलालान का पुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

––सायल–

बनाम

1. मोहनसिंह उम्र 70 साल } पिसरान
2. रघुवीर उम्र 45 साल } रामजीलाल
3. मोहरसिंह उम्र 52 साल } पिसरान
4. रामरूप उम्र 55 साल } सुक्का
5. हरिमोहन उम्र 47 साल
6. रामफल उम्र 75 साल } पिसरान
7. रामचरण उम्र 60 साल } गोपी

(1 से 7) जाति माली निवासी गुलालान का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।

8. लाडबाई पुत्री गोपी पत्नि भागमल उम्र 65 साल जाति माली निवासी गुलालान का पुरा हिण्डौन सिटी हाल निवासी नया नंगला बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
9. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
10. उपपंजीयक महोदय हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी।

––गैरसायलान–10

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री रामखिलाडी सैनी वकील सायलान
2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– 2-5-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि सायल के कब्जाकारत, स्वामित्व, स्वत्व, व सम्मिलत खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 8061 रकबा 03 ऐयर, 8067 रकबा 01 ऐयर, 8068 रकबा 36 ऐयर, 8069 रकया 01 ऐयर, 8070 रकबा 24 ऐयर, 8071 रकवा 25 ऐयर, 8072 रकवा 34 ऐयर, 8073 रकवा 30 ऐयर, 8074 रकवा 33 ऐयर, 8075 रकवा 31 ऐयर, 8076 रकवा 25 ऐयर 8170 रकवा 44 ऐयर, 8171 रकवा 33 ऐयर, 8172 रकवा 17

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:23 IST
Reason: SelfAttested

ऐयर, 8175 रकवा 15 ऐयर कुल किता 15 कुल रकवा 3.52 है० स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल वहिस्सा 5/36 एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 वहिस्सा प्रत्येक 1/8, गैरसायल संख्या 6, 7 वहिस्सा प्रत्येक 5/36, तथा गैरसायल संख्या 3 ता 5 व 8 वहिस्सा प्रत्येक 1/12 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, तथा सायल एवं गैरसायलान की सम्मिलत खातेदारी की भूमि है।

भूमि आराजी खसरा नम्बर 8199 रकवा 27 ऐयर, 8200 रकवा 12 ऐयर, 8201 रकवा 36 ऐयर 8202 रकवा 55 ऐयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.30 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल वहिस्सा 1/3 तथा गैरसायल संख्या 67 वहिस्सा 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है तथा सायल एवं गैरसायल संख्या 6. 7 की सम्मिलत खातेदारी की भूमि है। सायल व गैरसायलान 1 ता 8 ने उक्त आराजी का मौके पर बाहामी बटवारा कर रखा है, और बाहामी बटवारे के अनुसार हरवर्ष फसल काश्त करते रहते है. उक्त आराजी का विधिवत बटवारा नहीं हुआ है।

उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय डोल–मेढ, बुबाई जुताई के ही समय व रकवा के कम अधिक के बारे में हरवर्ष सायल व गैरसायल नं0 1 ता 8 के मध्य मनमुटाव उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि गैरसायलान ने अपने हिस्से से अधिक भूमि दबा रखी है। गैरसायल नं० 6 रामफल ने भूमि खसरा नम्बर 8072 रकवा 34 ऐयर में अपने निहित हिस्सा 5/36 भाग की सम्पूर्ण भूमि को जरिये इकरारनामा सायल को रिहायश हेतु विक्रय कर सम्पूर्ण विक्रय धनराशि प्राप्त कर मौके पर सायल का कब्जा वाकई करा दिया है इसलिये खसरा नम्बर 8072 में गैरसायल नं0 6 के हिस्सा की भूमि बटवारे में सायल के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

बांका दिनांक 22.02.2023 समय सुबह 8 बजे का है कि सायल अपनी उक्त भूमि का विधिवत बटवारा करवाने के लिये गैरसायल नं0 1 ता 8 के पास गया और गैरसायल नं० 1 ता 8 से उक्त भूमि का विधिवत बटवारा कराने को कहा तो गैरसायल नं० 1 ता 8 एकदम नाराज हो गये और कहने लगे कि हमको कोई विधिवत बटवारा कराने की आवश्यकता नहीं है, हम विधिवत बटवारा नहीं कराऐंगें और बिना विधिवत बटवारा कराये ही उक्त भूमि को तेरे हिस्से सहित किसी दीगर लठैत व्यक्ति को रहन वयय कर देंगे तथा उक्त भूमि पर बिना वटवारा कराये ही हम पक्के आवासीय मकानों का निर्माण कर देंगे, तब सायल ने व वहाँ उपस्थित गाँव के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अन्य लोगों ने भी गैरसायल नं० 1 ता 8 को काफी समझाया परन्तु गैरसायल नं० 1 ता 8 अजखुद मानने को तैयार नही हुए बल्कि ऐलानियां धमकी दी कि आईन्दा दोबारा विधिवत बटवारे की बात को लेकर हमारे पास आया तो तेरे हाथ पैरो को तोड देंगें और तुझे तेरे हिस्से से बेदखल कर देंगें और तेरे हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वयय कर देंगें, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है इस प्रकार अगर गैरसायल नं० 1 ता 8 अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को काफी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से होना संभव नहीं है, इस कारण सायल को उक्त प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जाये कि वे सायल के कब्जाकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 8061 रकवा 03 ऐयर, 8067 रकवा 01 ऐयर, 6068 रकया 36 ऐयर, 8069 रकवा 01 ऐयर, 8070 रकवा 24 ऐयर, 8071 रकवा 25 ऐयर, 8072 रकवा 34 ऐयर, 8073 रकवा 30 ऐयर, 8074 रकवा 33 ऐयर, 8075 रकवा 31 ऐयर, 8076 रकवा 25 ऐयर 8170 रकवा 44 ऐयर, 8171 रकया 33 ऐयर, 8172 रकवा 17 ऐयर, 8175 रकवा 15 ऐयर कुल किता 15 कुल रकवा 3.52 है0, 8199 रकवा 27 ऐयर, 8200 रकवा 12 ऐयर, 8201 रकवा 36 ऐयर, 8202 रकवा 55 ऐयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.30 है० बांके कस्बा हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली में सायल के हिस्से में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नही करे उसे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके से बेदखल नही करे ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायल के हक हकूको पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडे, तथा उक्त आराजी का जब तक विधिवत बटवारा नहीं हो तब तक स्पेसिक पीस ऑफ लैण्ड को रहन वयय नहीं करें, ना ही कोइ पक्का निर्माण करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 10.03.2025 से गैरसायलानों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावे[illegible] स[illegible] में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1576, 1494, 16[illegible] व नक्शा ट्रैस वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन एवं नकल विक्रय प्रतिज्ञा पत्र पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जाये कि वे सायल के कब्जाकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 8061 रकवा 03 ऐयर, 8067 रकवा 01 ऐयर, 6068 रकया 36 ऐयर, 8069 रकवा 01 ऐयर, 8070 रकवा 24 ऐयर, 8071 रकवा 25 ऐयर, 8072 रकवा 34 ऐयर, 8073 रकवा 30 ऐयर, 8074 रकवा 33 ऐयर, 8075 रकवा 31 ऐयर, 8076 रकवा 25 ऐयर 8170 रकवा 44 ऐयर, 8171 रकया 33 ऐयर, 8172 रकवा 17 ऐयर, 8175 रकवा 15 ऐयर कुल किता 15 कुल रकवा 3.52 है0, 8199 रकवा 27 ऐयर, 8200 रकवा 12 ऐयर, 8201 रकवा 36 ऐयर, 8202 रकवा 55 ऐयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.30 है० बांके कस्बा हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली में सायल के हिस्से में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नही करे उसे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके से बेदखल नही करे ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायल के हक हकूको पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडे, तथा उक्त आराजी का जब तक विधिवत बटवारा नहीं हो तब तक स्पेसिक पीस ऑफ लैण्ड को रहन वयय नहीं करें, ना ही कोइ पक्का निर्माण करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 1576, 1494, 1664 व नक्शा ट्रैस वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायलान व गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है [illegible] जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये ज[illegible] विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 31.03.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 8061, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8170, 8171, 8172, 8175, 8199, 8200, 8201, 8202 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 2-5-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:23 IST
Reason: SelfAttested